

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि०न०:- 123 / 2026

1. हरदीप सिंह पुत्र गुरमेलसिंह जाति जटसिख निवासी 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. गुरमेलसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
2. गुरजीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह
3. सरजीत सिंह पुत्र गुरमेलसिंह
4. परमजीत कौर पत्नी गुरमेल सिंह
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

जाति जटसिख निवासीयान 5 जीजीआर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।



डिक्री

प्रतिवादीगण

दिनांक 30/3/26.....


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी हरदीप सिंह को प्राप्त आराजी:- चक नं० 9 जीजीआर के प०न० 199/302 मु० 42 किलानं० 4/1/.228, 4/2/.025 रास्ता, 5/1/.228, 5/2/.025 रास्ता, 6,7/.506, 8/2/.126 है० मे से .051 है० पूर्व दिशा, चकनं० 7 जीजीआर के प०न० 201/296 मु० 26 किलानं० 23, 24, 25 / 759 है०, प०न० 202 /297 मु० 28 किला नं० 1/.253 है० ख. प्रतिवादी सं० 2 गुरजीत सिंह को प्राप्त आराजी- चक नं० 9 जीजीआर के प०न० 199/302 मु० 42 किलानं० 1/1/.228 है० में से .102 है० पूर्व दिशा, 1/2/.025 है० मे से .013 है० मै० खाला, 2/1/.228, 2/2/.025 रास्ता, 3/1/.228, 3/2/.025 है०, 8/1/.127 है० व 8/2/.126 है० में से .075 है०, 9/253, चक नं० 7 जीजीआर के प०न० 201/297 मु० 27 किलानं० 6/1/.215, 6/2/.038 है० रास्ता, 7,8/.506, प०न० 202/297 मु० 28 किलानं० 10/.253 है० ग. प्रतिवादी सं० 3 सरजीत सिंह को प्राप्त आराजी- चकनं० 9 जीजीआर के प०न० 199/302 मु० 42 किलानं० 1/1/.228 है० में से .126 है० पश्चिम दिशा, 1/2/.025 है० मे से .012 है० रास्ता, 10, 11, 12/759, 13/.127 है० चकनं० 7 जीजीआर के प०न० 201/297 मु० 27 किलानं० 2,3,4, /759, 5/1/.215, 5/2/.038 रास्ता, इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 2 व 3 को खातेदार काश्तकर घोषित किये जाते है वादी एवं प्रतिवादी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे व चक नं० 9 जीजीआर के खाता सं० 25/20 में से गुरमेल सिंह का नाम कलमजन, चकनं० 7 जीजीआर के खाता सं० 18/17 में से गुरमेलसिंह का हिस्सा कम, चक नं० 9 जीजीआर के खाता सं० 96/82 में से सरजीत सिंह व हरजीत सिंह का हिस्सा कम चकनं० 9 जीजीआर के खाता सं० 95/84 में से गुरजीत सिंह व हरदीपसिंह का नाम कलमजन, चकनं० 7 जीजीआर के खाता सं० 59/62 में सरजीत सिंह का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं


प्रमाणित प्रतिलिपि


प्रमाणित प्रतिलिपि

जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3.03.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
उपखण्ड अधिकांश (R.A.S)  
प्रदेश सहायक अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।

  
प्रमाणित प्रतिलिपि  
प्रदेश सहायक अधिकारी टिब्बी